अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2020 (GCMS 2020/00040) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.12.2019 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे बिन्दुवार उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. बीएलओ द्वारा अपने कार्य का निष्पादन में कार्यालय के समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
2. बीएलओ विभागीय नियमों के अनुसार कार्यालय समय 9:30 से 6 बजे से पहले या इसके पश्चात भी किसी समय अपने कार्य का निष्पादन कर सकता है, इसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/3297 दिनांक 07.01.2020 से प्रार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना चाही है। जिसकी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है :

बिन्दु संख्या 1:

बीएलओ द्वारा अपने कार्य का निष्पादन में कार्यालय के समय की सूचना व नियम के प्रमाणित प्रति की सूचना के सन्दर्भ में बूथ लेवल अधिकारियों की पुस्तिका के अध्याय—1 में वर्णित नियम की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

बिन्दु संख्या 2:

बीएलओ विभागीय नियमों के अनुसार कार्यालय समय 9:30 बजे से 6 बजे से पहले या इसके पश्चात भी किसी समय अपने कार्य निष्पादन कर सकता कर सकता है, इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों की पुस्तिका के अध्याय—1 में वर्णित नियम की छायाप्रति संलग्न है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2019 का जवाब उपखण्ड अधिकारी, श्रीगगानगर द्वारा उक्तानुसार दिनांक 07.01.2020 को निश्चित समय अवधि में दिया जा चुका है जो सही है जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर